

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Wednesday, 13th February 2008/24 Magha 1929 (Saka)

No. 234

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, South Distt., New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, Dr Harsh Vardhan, Sh. Ramesh Bidhuri, Sh. Vijay Jolly were detained u/s 65 of Delhi Police Act from Ratiya Marg, Police Station Sangam Vihar, at 1.15 P.M. on 01.02.2008.

They were released at 1.40 P.M. from the same place on the same date. "

SIDDHARATH RAO
Secretary

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार 13 फरवरी 2008/24 माघ, 1929 (शक)

संख्या-234

विषय: सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, उपायुक्त, दक्षिण जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डा0 हर्ष वर्धन, श्री रमेश बिधूडी और श्री विजय जौली को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत रतिया मार्ग पुलिस थाना संगम विहार से दिनांक 1.2.2008 को अपराहन 1.15 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से अपराहन 1.40 बजे रिहा कर दिया गया ।

सिद्धार्थ राव
सचिव